क्रमांक-4

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 31, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 100 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री प्रदीप जायसवाल, सदस्य ने प्रश्न संख्या 3 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया। श्री रामनिवास रावत, सदस्य प्रश्न संख्या 9 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये, कागज फेंके तथा बहिर्गमन किया। श्री आरिफ अकील, सदस्य प्रश्न संख्या 15 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये, आसंदी के निर्देश पर वापस गये तथा बहिर्गमन किया। श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य प्रश्न संख्या 11 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये, आसंदी के निर्देश पर वापस गये)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य ने रतलाम जिले में प्रधानमंत्री सड़क उखड़ जाने से उत्पन्न स्थिति,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ में अनियोजित विस्तार किये जाने,
(3) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने जावरा के पिपलोदा तहसील के ग्राम भवरिया के डेम में पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होने,
(4) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने राजधानी परियोजना, भोपाल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित न किये जाने,
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य ने इन्दौर एयरपोर्ट के पास मीट मटन की दुकानों से हवाई दुर्घटना की आशंका होने,
(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद के इटारसी नगर में अवैध निर्माण होने,
(7) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य ने भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र की सड़क जर्जर होने,
(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के कई ग्रामों में नलजल योजना बंद होने तथा
(9) श्री अजय सिंह, सदस्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने का ठेका गलत कम्पनी को दिये जाने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने-

(क) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-20-2009-1-पांच (58) दिनांक 12 मई, 2010,

(ख) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-10-2010-1-पांच (57) दिनांक 7 मई, 2010 तथा

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) क्रमांक एफ-ए-3-19-09-1-पांच (29) दिनांक 20 नवम्बर, 2009,

(2) क्रमांक एफ-ए-3-18-2009-1-(33)-पांच दिनांक 22 दिसम्बर, 2009,

(3) क्रमांक एफ-ए-3-69-2007-1-पांच (36) दिनांक 27 जनवरी, 2010,

(4) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (37) दिनांक 29 जनवरी, 2010,

(5) क्रमांक एफ-ए-3-7-2010-1-पांच (45) दिनांक 1 अप्रैल, 2010,

(6) क्रमांक एफ-ए-3-6-2010-1-पांच (44) दिनांक 1 अप्रैल, 2010, तथा

(7) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (60) दिनांक 18 मई, 2010,

पटल पर रखीं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य , उद्योग और रोजगार मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3)(ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 2005) तथा

(ख) मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए,

पटल पर रखे।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 664-एफ(3)20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 20 मई, 2010 पटल पर रखी।

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री, ऊर्जा ने -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2005-2006 (जून 2005 से मार्च, 2006) तथा वर्ष 2006-2007,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि हेतु ; तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक 547-एमपीईआरसी /2010, दिनांक 3 मार्च, 2010,

(2) क्रमांक 914-म.प्र.विनिआ-2010, दिनांक 13 अप्रैल, 2010,

(3) क्रमांक 1380 म.प्र.विनिआ-2010, दिनांक 2 जून, 2010, तथा

(4) क्रमांक 1548-म.प्र.विनिआ-2010, दिनांक 14 जून, 2010

पटल पर रखीं।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने देवास नगर के समीप स्थित सौरभ डेयरी द्वारा प्रदूषित अपशिष्ट छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले के खोड़सा स्थित निजी तालाब से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी जिले के -

(क) तहसील करैरा के ग्राम बघेदरी से करैरा मार्ग पर दिनऊआ नाले पर स्टाप डेम रपटा बनाये जाने,
(ख) तहसील नरवर के ग्राम फतेहपुर और खडीचा ग्राम के बीच नाले पर स्टाप डेम कम रपटा बनाये जाने,
(ग) तहसील नरवर के ग्राम-कलोघरा में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
(घ) तहसील-नरवर के ग्राम मिल्हारी में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
(ङ) तहसील-नरवर के ग्राम-कैरवोदा से खरदेड़ा तक द्वितीय चरण सड़क बनाये जाने,
(च) तहसील-नरवर के ग्राम-खिरियाघाट में पार्वती नदी पर ब्रिज निर्माण किये जाने,
(छ) तहसील-नरवर के ग्राम-निजामपुर में रज्जू राठौर के मकान से पुराने निजामपुर तक सी.सी.रोड निर्माण करने,
(ज) तहसील-नरवर के ग्राम-मिल्हारी में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण किये जाने,
(झ) तहसील-करैरा के ग्राम-आमोलपठा से जयनगर मार्ग पर आमरा नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(ञ) तहसील-करैरा के ग्राम-दीवट से दीदावली के बीच नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,
(ट) तहसील-करैरा के ग्राम-आमोलपठा से कुण्डलपुर व्हाया शंकरगढ़ तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ठ) तहसील करैरा के ग्राम-आढ़ंर से खैराकोटिया,लालपुर रोड तक द्वितीय चरण सड़क निर्माण किये जाने,
(ड) तहसील-नरवर के ग्राम-मंगरौनी बाजार, निजामपुर, देवरी तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने तथा
(ढ) तहसील-नरवर के ग्राम-निजामपुर के मेला ग्राउण्ड में रोड तथा चबूतरा निर्माण किये जाने,

(2) श्री राम लल्लू वैश्य, सदस्य ने सिंगरौली जिले के -

(क) विकासखण्ड बैढन की शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) विकासखण्ड बैढन की शासकीय हाई स्कूलों को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने तथा
(ग) विकासखण्ड सिंगरौली के ग्रामों की ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण किये जाने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

6. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2010 को 3 घण्टे का समय नियत किया गया।

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 के पुरःस्थापन संबंधी प्रस्ताव करने हेतु श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री का नाम पुकारने के तत्काल पश्चात्, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि शासन द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2010 को निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) के संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के 6 सप्ताह के भीतर, अगले विधान सभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था। अतः शासन की ओर से संसदीय कार्य मंत्री को इस त्रुटि के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। इस संबंध में संविधान के अध्याय 4, अनुच्छेद 213 तथा संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार (कौल एवं शकधर) के तत्सम्बन्धी प्रावधानों का भी उल्लेख किया। श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य द्वारा भी इस आपत्ति का समर्थन किया गया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि विधान सभा के गत सत्र के समय इस संबंध में प्रस्ताव दिया था किन्तु विधान सभा द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि वह सत्र "स्वर्णिम मध्यप्रदेश" के निर्माण सम्बन्धी विशिष्ट कार्य के लिए आहूत किया गया था। इस संबंध में कोई त्रुटि नहीं हुई है, अतः प्रस्तुत विधेयक का पुरःस्थापन किया जाना उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि आज प्रस्तुत विधेयक में उस अध्यादेश का उल्लेख नहीं है। विधान सभा के पिछले सत्र में कोई शासकीय विधि विषय कार्य नहीं लिया गया था, इसलिए उसे अस्वीकार किया गया था। इसमें शासन या विधान सभा की कोई गलती नहीं हैं चूंकि 6 सप्ताह की अवधि निकल जाने के बाद, अध्यादेश की जीवन आयु समाप्त होने से, वह व्यपगत हो गया था। इसलिए शासन द्वारा नया विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया नियमानुसार होने के कारण, मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति को अमान्य करते हुए उनके व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य करता हूँ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) सदन की अनुमति से विधेयक पुर:स्थापित किया।

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री बृजराज सिंह चौहान
(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.00 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यानाकर्षित कराया गया कि बजट सत्र में, दिनांक 19 फरवरी, 2010 को यह व्यवस्था दी गई थी कि उनके अशासकीय संकल्प को अगले सत्र के पहले शुक्रवार को चर्चा हेतु लिया जायेगा किन्तु इसे कल (शुक्रवार को) चर्चा हेतु लेना प्रस्तावित नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के अशासकीय संकल्प को कल चर्चा हेतु लेने की व्यवस्था दी गई।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने भाषण पूर्ण किया।

(5) श्री पारस दादा सकलेचा
(6) श्री रामलखन सिंह
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री दिलीप जायसवाल
(9) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(10) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(11) श्री बृजमोहन धूत
(12) राव देशराज सिंह यादव
(13) श्री परसराम मुद्गल
(14) श्री संतोष जोशी

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 9 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय विश्नोई , पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

11. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवां प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने दिनांक 23 जुलाई, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2010	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-1, 11, 24)	डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री के.पी. सिंह, अश्विन जोशी	45 मिनट
2. (क्रमांक-3)	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	45 मिनट
3. (क्रमांक-10)	श्री बृजमोहन धूत	15 मिनट
4. (क्रमांक-14)	श्री आरिफ अकील	15 मिनट
5. (क्रमांक-12)	डॉ. कल्पना परूलेकर	30 मिनट

श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवां प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री रामनिवास रावत तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भाषण प्रारम्भ किया। (चर्चा एवं भाषण अपूर्ण)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

13. अध्यक्षीय व्यवस्था

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, रामनिवास रावत, सुखदेव पांसे, प्रदीप जायसवाल आदि सदस्यगण द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा में ऊर्जा विभाग के अधिकारी न होने पर आपत्ति उठाई। अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में इस त्रुटी को सुधारकर, पुनरावृत्ति नहीं होने संबंधी निर्देश दिये।

अपराह्न 5.00 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2010 (श्रावण 1, 1932) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2010